



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

“सार्वजनिक सूचना”

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजना “हरनन्दीपुरम” के प्रथम चरण के तलपट मानचित्र की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गयी प्रथम चरण की भूमि 47.1612 हे० भूमि में से कृषि भू-उपयोग की 24.1213 हे० भूमि के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-शाहपुर निज मोरटा, गाजियाबाद के खसरा संख्या-255, 256, 257, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276 एवं राजस्व ग्राम-भोवापुर, गाजियाबाद के खसरा संख्या-1, 2, 4, 5, 6, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 की भूमि का भू-उपयोग गाजियाबाद, मोदीनगर एवं लोनी महायोजना-2031 के अनुसार “कृषि” से “आवासीय” में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे मा० बोर्ड द्वारा 173वीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में अनुमोदन प्रदान किया गया। उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com,  : @ Gda Ghaziabad  : @ gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, क्वाटर्सएफ: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प